



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. ४४A/अका./वि.प./बैठक/20,

बिलासपुर, दिनांक 06 /08 /2020

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 32 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 06/08/2020, दिन गुरुवार अपरान्ह 12:00 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर (छ.ग.)
2. डॉ. राजलक्ष्मी सेलेट — सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)
3. डॉ.एल.पी.पटैरिया, — सदस्य
आचार्य, प्रबंधन विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
4. डॉ.मनीष श्रीवास्तव, — सदस्य
आचार्य, अग्रंजी विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
5. डॉ.मीता झा, — सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग,
पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
6. डॉ. बी.एल. गोयल — सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
7. डॉ. अनिता सिंह — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| 8. | श्री संजीव कुमार लवानिया
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 9. | डॉ. एस. रूपेन्द्र राव
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 10. | श्री रेशमलाल प्रधान
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सदस्य |
| 12. | डॉ. इंदु अनंत
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर | - | सचिव |

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.) | - | सदस्य |
|----|---|---|-------|

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रखकर निर्णय लिया गया—

प्रस्ताव क्र. 01: सत्रांत परीक्षा 2019 20 के परिणाम घोषित करने के विषय में विचार निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :-


- 1 स्नातक भाग 1 में सत्रीय कार्य हुए विषयो मे प्राप्तांक के औसत के आधार पर आधार-पाठयक्रम हिन्दी/अग्रेजी मे अंक दिया जाकर परिणाम घोषित किया जाए।


Handwritten signature

Handwritten signature

- 2 स्नातक भाग 1 हेतु इस वर्ष का परिणाम 750 की जगह पर 700 पूर्णांक करते हुए परिणाम घोषित किया जाए तथा पर्यावरण अध्ययन को आगे के 2 वर्षों में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाए।
- 3 स्नातक भाग 2 में राज्य शासन के दिशानिर्देशों के परिपालन में सत्रीय कार्य हुए विषयों में प्राप्तांक के औसत को 50% अधिभार तथा स्नातक भाग 1 में आधार पाठ्यक्रम हिन्दी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को 50% अधिभार देते हुए अंक प्रदान किया जाकर परिणाम घोषित किया जाए।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।



(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष


(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 89 A/अका./वि.प./बैठक/20,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 06 /08/2020

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण -
- 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.),
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
- 2.3 डॉ.एल.पी.पटैरिया, आचार्य, प्रबंधन विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
- 2.4 डॉ.मनीष श्रीवास्तव, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.5 डॉ.मीता झा, आचार्य एवं अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- 2.6 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.7 डॉ.अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU
- 2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU
3. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
- 4 नस्ती हेतु।


कुलसचिव